"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 435] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 अगस्त 2023 — भाद्रपद 3, शक 1945

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 अगस्त 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12–4/2020/मबावि/50 (पार्ट).— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे उल्लेखित तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को, कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित तत्संबंधी जिले के किशोर न्याय बोर्ड में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, नीचे उल्लेखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, नियुक्त करती है, अर्थात :–

स.क्र.	जिले का नाम	किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक सदस्य
(1)	(2)	(3)
1	सुकमा	1. श्रीमती पी. ज्योति नायडू
2	बेमेतरा	1. श्रीमती मनीषा तिवारी 2. श्री शेष नारायण मिश्रा

(1) यह नियुक्तियां अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं व्यक्तिगत वार्तालाप मे दी गई जानकारी तथा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर की गई है। किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा मे राज्य शासन को संबंधित व्यक्ति का चयन निरस्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध मे कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नही होगा।

(2) किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ताओं की पदावधि, इस अधिसूचना जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी।

(3) बोर्ड, संप्रेक्षण गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विनिश्चित स्थान पर अपनी बैठक आहूत करेगी, जिसमे विहित तिथि/समय पर सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(4) किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा (4) की उप–धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी।

(5) कंडिका क्रमांक 4 के अतिरिक्त, बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता, एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय त्यागपत्र दे सकेंगे।

(6) नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के अनुसार कार्य करेंगे।

(7) यदि नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में उनके कार्यो को प्रभावित कर सकते है, तो उन्हें अपनी वर्तमान सेवा/व्यवसाय का कार्य स्थगित करना होगा।

(8) किशोर न्याय बोर्ड में नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता यदि अधिवक्ता है, तो बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान प्रेक्टिस नहीं करेंगे तथा इस हेतु उन्हें किशोर न्याय बोर्ड में अपने कार्यकाल की अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद् से अपना पंजीयन/सनद् स्थगित कराना होगा तथा उन्हें इस संबंध में सुसंगत दस्तावेज विभाग को उपलब्ध कराना होगा। इसके पश्चात ही वे किशोर न्याय बोर्ड में उपस्थिति दे सकेंगें।

(9) यह नियुक्त पुलिस सत्यापन होने तक प्रावधिक मानी जायेगी। यदि किसी नियुक्त अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन मे विपरीत टीप प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रणबीर शर्मा, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 11 अगस्त 2023

क्रमांक एफ 12–4/2020/मबावि/50 (पार्ट).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11–08–2023 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रणबीर शर्मा, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 11th August 2023

NOTIFICATION

No. F 12-4/2020/WCD/50/ (Part).— In exercise of the powers conferred by the sub- section (1) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) and as per the recommendations of the State level Selection Committee, the State Government, hereby, appoints the following person mentioned in column number (3) of the table mentioned below in the Juvenile Justice Board of the corresponding District mentioned in column number (2) as Social worker, subject to the conditions mentioned below namely:-

S.No.	Name of the District	Name of the Social Member of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)
1	Sukma	1. Smt. P.Jyoti Naydu
2	Bemetara	1. Smt. Manisha Tiwari 2. Shri Shesh Narayan Mishra

(1) These appointments have been done on the basis of information given in the application & personal intraction and documents submitted by the applicants. In case of wrong information or discrepancy or complaint at any level, state goverment shall have the rights to cancel the appointment of the concerned person and no representation shall be acceptable in this regards.

(2) The term of the Social worker of the Juvenile Justice Board shall be for a period of three years from the date of the issue of this Notification.

(3) The Board shall hold its meetings in the premises of the Observation Home or at any place decided by the District Child Protection Committee, in witch presence of the Social workers on the prescribed date/time shall be mandatory.

(4) Appointment of the Social workers of the of the Juvenile Justice Board may be terminated in accordance with the provisions of sub- Section (7) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No.2 of 2016).

(5) Besides serial no. 4 Social workers of the Board may resign at any time by giving one month's notice.

(6) Appointed Social workers shall function according to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No.2 of 2016) & the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.

(7) If the appointed Social worker is in a profession/service, which can affect his work as a member of the Juvenile Justice Board, then he will have to postpone his work of existing profession/service.

(8) In the Social worker appointed in the Juvenile Justice Board If the selected member is in a profession/service, which can affect his work as a member of the Child Welfare Committee, then he will have to postpone his work of existing profession/service.

(9) If the social worker appointed in the Juvenile Justice Board is an advocate, then he will not practice during his/her tenure in the Board and for this he will have to postpone his registration/Sanad with the Chhattisgarh State Advocate Council till the period of his tenure in the Juvenile Justice Board and he will have to The relevant documents will have to be made available to the department. Only after this they will be able to appear in the Juvenile Justice Board.

(10) This appointment will be considered provisional till the police verification. If any adverse comment is found in police verification of appointed candidate, his appointment will be considered terminated with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RANBIR SHARMA, Joint Secretary.

अटल नगर, दिनांक 11 अगस्त 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12–4/2020/मबावि/50 (पार्ट).— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 27 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के चयन के लिये गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे उल्लेखित तालिका के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) में उल्लेखित व्यक्तियों को, कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित तत्संबंधी जिले के बालक कल्याण समिति में, क्रमशः अध्यक्ष/सदस्य के रूप में, नीचे उल्लेखित शर्तो के अध्याधीन रहते हुये, नियुक्त करती है, अर्थात :–

स. क्र.	जिले का नाम	बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष का नाम	बालक कल्याण समिति के सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सरगुजा	श्री गोरेलाल राजवाड़े	
2	बीजापुर		1. श्रीमती मिली सत्यन 2. कु. साधना कश्यप
3	दंतेवाड़ा		1. श्रीमती सरिता अल्लुर 2. श्री छोटे लाल यादव
4	रायगढ़		1. लक्ष्मी प्रसाद पटेल
5	सुकमा		1. श्री बसंत सिंह बघेल 2. श्रीमती चैश्वनी सिन्हा 3. श्री शेख कसीमुद्दीन
6	दुर्ग		1. सुश्री मंजुला देशमुख
7	गरियाबंद		1. श्रीमती मोनिका तिवारी

(1) यह नियुक्तियां अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं व्यक्तिगत वार्तालाप में दी गई जानकारी तथा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर की गई है। किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा मे राज्य शासन को संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध मे कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नही होगा।

(2) बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों की पदावधि, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी।

(3) बालक कल्याण समिति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का 2) की धारा 28 की उप–धारा (1) के अनुसार अपनी बैठक आहूत करेगी, जिसमें विहित तिथि/समय पर अध्यक्ष/सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(4) बालक कल्याण समिति, बाल गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विनिश्चित स्थान पर अपनी बैठक आहूत करेगी।

(5) बालक कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा (27) की उप–धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी।

(6) कंडिका क्रमांक 5 के अतिरिक्त, समिति के अध्यक्ष/सदस्य, एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय त्यागपत्र दे सकेंगे।

(7) समिति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के अनुसार बालकों के कल्याण एवं संरक्षण के लिये कार्य करेंगी।

(8) यदि नियुक्त सदस्य, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो बालक कल्याण समिति के सदस्य के रूप में उनके कार्यो को प्रभावित कर सकते है, तो उन्हें अपनी वर्तमान सेवा/व्यवसाय का कार्य स्थगित करना होगा।

(9) यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन होने तक प्रावधिक मानी जायेगी। यदि किसी नियुक्त अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन मे विपरीत टीप प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रणबीर शर्मा, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 11 अगस्त 2023

क्रमांक एफ 12–4/2020/मबावि/50 (पार्ट).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11–08–2023 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रणबीर शर्मा, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 11th August 2023

NOTIFICATION

No. F 12-4/2020//WCD/50 (Part).— In exercise of the powers conferred by the sub- section (1) of Section 27 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) and as per the recommendations of the State level Selection Committee constituted for selection of the Chairperson/Members of the Child Welfare Committee, the State Government, hereby, appoints the following persons mentioned in column number (3) and (4) of the table mentioned below as Chairperson/Members respectively in the Child Welfare Committee of the corresponding District mentioned in column number (2), subject to the conditions mentioned below, namely :-

S.No.	Name of the District	Name of the Chairperson of the Child Welfare Committee	Name of the Member of the Child Welfare Committee
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Surguja	Shri Gorelal Rajwade	
2	Bijapur		1. Smt. Mili Satyan 2. Ku. Sadhna Kashyap
3	Dantewada		1. Smt. Sarita Allur 2. Shri. Chotelal Yadav
4	Raigarh		1. Shri. Laxmi Prasad Patel
5	Sukma		1. Shri. Basant Singh Baghel 2. Smt. Chaiswani Sinha 3. Shri. Sekh Kashimuddin
6	Durg		1. Ku. Manjula Deshmukh
7	Gariyaband		1. Smt. Monika Tiwari

(1) This appointments have been done on the basis of information given in the application & personal intraction and documents submitted by the applicants. In case of wrong information or discrepancy or complaint at any level, state goverment shall have the rights to cancel the appointment of the concerned person and no representation shall be acceptable in this regards.

(2) The term of the Chairperson/Members of the Child Welfare Committee shall be for a period of three years from the date of the issue of this notification.

(3) Child welfare Committee shall hold its meetings as per sub-section (1) of Section 28 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No.2 of 2016), in which presence of Chairperson/members on the prescribed date/time shall be mandatory.

(4) Child welfare shall hold its meetings in the premises of the Children Home or at any place decided by the District Child Protection Committee.

(5) Appointment of the Members of the Child Welfare Committee may be terminated in accordance with the provisions of sub- Section (7) of Section 27 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No.2 of 2016).

(6) Besides serial no. 5 Chairperson/Members of the Committee may resign at any time by giving one month's notice.

(7) Committee shall function for the welfare and protection of the children in accordance with the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No.2 of 2016) & the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.

(8) If the appointed member is in a profession/service, which can affect his work as a member of the Child Welfare Committee, then he will have to postpone his work of existing profession/service.

(9) This appointment will be considered provisional till the police verification. If the adverse comment is found in police verification of appointed candidate, his appointment will be considered terminated with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RANBIR SHARMA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.